न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00324

1. प्रेमबाई विधवा पत्नी कंवर लाल आयु 61 वर्ष जाति माली ।
2. रमेश चन्द आयु 41 वर्ष पुत्र स्वर्गीय कंवर लाल जाति माली ।
3. शंकर आयु 38 वर्ष पुत्र स्वर्गीय कंवर लाल जी जाति माली ।
4. बालचन्द आयु 36 वर्ष पुत्र स्वर्गीय कंवर लाल जाति माली ।
5. शिव आयु 33 वर्ष पुत्र स्वर्गीय कंवर लाल जाति माली ।
6. हरीश आयु 31 वर्ष पुत्र स्वर्गीय कंवर लाल जाति माली निवासीगण होली का खूंट मालियों का मोहल्ला कस्बा सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामभरोस पुत्र स्व0 कंवर लाल जाति माली निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. भवगती पुत्री स्व0 कंवर लाल जाति माली निवासी होली का खूंट मालियों का मोहल्ला कस्बा सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. चौथमल पुत्र स्व0 नानूराम जाति माली निवासी कस्बा सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. छम्मा बाई पुत्री स्व0 कंवर लाल आयु 29 वर्ष पत्नी राधेश्याम जाति माली निवासी ग्राम रेनखेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. सलीम खान आयु 60 वर्ष पुत्र अब्दुल गफूर जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर –03 तोपखाना झालावाड जिला झालावाड ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री द्वारका लाल नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बिरधी लाल श्रृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 की ओर से ।
3. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 06 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के शामलाती खाता नया 344 की आराजी खसरा नम्बर 803 की रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 806 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 807 की 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 808 की 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 822 की 12 बिस्वा कुल 05 किता रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से संयुक्त लगान राज जमा कराने को लेकर विवाद होता रहता है । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ हैं । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक लगान राज कायम किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमि पर वादी को पृथक से कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी के 1/2 हिस्से पर वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने दें और उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2019 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 मृतक कंवर लाल के वारिसान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर क्या तनकीयात कायम की इसका उल्लेख नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य का भी कोई उल्लेख नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से पुराना दावा नम्बर 106/06 की नकले दावे में प्रस्तुत की थी इसको निर्णय जेर अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने माना है किन्तु इन दस्तावेजात का कोई विवेचन किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । विभाजन के दावे में वादी व प्रतिवादी का स्टेटस कानूनन समान होता है इस कारण पुराना दावा नम्बर 53/92 और 106/2006 कंवर लाल बनाम चौथमल, रामभरोस वगै0 दिनांक 24.08.2006 को अदम हाजरी में खारिज हो जाने से धारा 2 (2) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसारा वर्तमान दावा चलने योग्य नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि नानूराम जी की सन् 1991 में मृत्यु हो गयी थी उनके 02 पुत्र कंवर लाल और चौथमल का हिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए था । उनके द्वारा इस आराजी के बाबत् कभी भी वसीयत आलेखित नहीं की गई । रेस्पोडेन्ट कम 01 रामभरोस ने जायन्दा पुत्र कंवर लाल एवं चौथमल के होते हुए भी 14 बीघा 05 बिस्वा में से 05 बीघा 17 बिस्वा आराजी किस आधार पर कब और कैसे अपने खाते दर्ज करवा ली इसका कोई स्पष्टीकरण दावे में नहीं है । निर्णय में न तो दावे के तथ्य अंकित हैं न ही ही जवाबदावे के तथ्य अंकित हैं । तानकीयात का भी उल्लेख नहीं है, साक्ष्य का विश्लेषण नहीं किया गया है, तनकीयात की विवेचना त्रुटिपूर्ण रूप से, की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

10. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्जावेजात में विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2020 की प्रमाणित प्रति और नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 नया खाता संख्या 524 और नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2004–24 पेश किये गये हैं । पेश किये गये दस्तावेजात विक्रय पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ है और प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पेश किये गये दस्जावेजात का विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2019 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेशिका पर निर्णय अंकित किया गया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार दावे का निर्णय पृथक से जिसमें दावे एवं जवाबदावे का विवरण अंकित हो, शामिल मिसल किया जाना अनिवार्य होता है । अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि नानूराम के 02 पुत्र हैं कंवर लाल और चौथमल इसलिए आराजी में दोनों पुत्रों का 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए । नानूराम जी ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत आलेखित नहीं की है । वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई वसीयत पेश नहीं की है । अपीलान्ट के द्वारा अपील में यह आपत्ति की गई है कि नानूराम जी ने कोई वसीयत आलेखित नहीं की है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रतिवादी के इस कथन के आधार पर यह विनिश्चय किया जाना अनिवार्य है कि वादी रामभरोस के खाते में वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा किस दस्तावेज से दर्ज हुआ है । साथ ही अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनका भी विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए एवं इन दस्तावेजात के रिबटल में परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट वादी को दस्तावेज पेश करने का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के साथ जो नये पक्षकारान बने हैं उन्हें भी जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना हम आवश्यक समझते हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पेश किये दस्जावेजात को रिकॉर्ड पर लेकर उनके रिबटल में वादी कोई दस्तावेजात पेश करना चाहें तो उन्हें भी दस्तावेजात पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए, आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के साथ जो नये पक्षकारान सलीम खान पुत्र अब्दुल गफूर बने हैं को भी जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.12.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा